फर्द आहकाम

प्रलयचन्द्र बनाम गिरीश वगैरह

य उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

18/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभि पक्ष अपने वकील अभि पत्रों की नकल ले ली गई। पत्रावली बाबत आदेश हेतु दिनांक 27/5/24 को पेश हो।	
27/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभि पक्ष अपने पत्रावली आदेश के निमित्त है। पत्रावली के अवलोकन से पी.ओ.एस. एवं एस.डी.ओ. टिपोटी तहसीलदार एवं अभिप्रत्यावेदी का अवलोकन किया गया तथा वकील अभि पक्ष की बहस को सुना गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण टिपोटी करने संबंधित विवाद है। ऐसी स्थिति में पक्षकारगण नहीं की जा सकती है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सि. आर. एक्ट का खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली केवल अपील होने पर नकल ले कर दे सकते बाद प्रति डाक्टिल एक्ट है।	